भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1424
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

एक जिला एक उत्पाद योजना

1424. श्री प्रवीण पटेल:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री मनीष जायसवाल:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री नव चरण माझीं:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को प्रभावी ढ़ग से एकीकृत किया जाए;

(ख) क्या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को निर्यात सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के कार्यक्षेत्र अथवा बजट को वित्त वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाने का विचार है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को लागू कर रहा है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। योजना के लिए ओडीओपी मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। 31 जनवरी 2025 तक , पीएमएफएमई योजना के तहत 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 726 जिलों के लिए ओडीओपी को मंजूरी दी गई है। ओडीओपी को राज्यों की सिफारिश के आधार पर और कृषि मंत्रालय के परामर्श से मंजूरी दी जाती है।

(ख) और (ग): जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) पहल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसमें प्रमाणन, ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ सीधे बाजार संपर्क के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता, बाजार विकास आदि के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं सहित प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ समन्वय में काम कर रहा है। ये योजनाएं महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित पूरे देश में लागू की गई हैं। 31 जनवरी, 2025 तक 1,22,512 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 282 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्वीकृत की गई हैं।

(घ) एवं (ङ): अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****